

डिक्री ब मुकदमें इबतदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत व इजलास सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक), चौहटन मुकाम चौहटन
श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस.

अनवान
वादी - 1.भूराराम पुत्र ईशराराम, जाति जाट निवासी श्रीरामवाला, तहसील धनाऊ

प्रतिवादीगण - बनाम
1.राजूराम पुत्र हेमाराम 2.रुखमोंदेवी पत्नि पीराराम 3.गोगी 4.पनी पि. पीराराम 5.मेघाराम पुत्र पूराराम, 6.बन्नूदेवी पत्नि पूराराम, जातियान जाट निवासी श्रीरामवाला, तहसील धनाऊ
7.शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा धनाऊ
8.तहसीलदार धनाऊ

अधिवक्तागण - वादी वकील - श्री हासम खान
प्रतिवादीगण वकील - श्री जगदीश पोटलिया

वाद अर्न्तगत धारा 88,53,188 RT Act.
मुकदमा नं. 48/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु.ब.रु. न्यायालय बहाजुरी श्री हासम खान एड. मिनजानिब मुदाई व श्री जगदीश पोटलिया एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा श्रीरामवाला, पटवार क्षेत्र धनाऊ में खसरा सं. 144 रकबा 00.10 बीघा, खसरा सं. 145 रकबा 58.00 बीघा एवं खसरा सं. 239 रकबा 00.08 बीघा, कुल रकबा 59.04 बीघा आया हुआ है। उक्त विवादित खसरो की भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है। लगातार शेष पृष्ठ पर..... बीज मबलिंग बाबत पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक को अदा करे।



दस्तखत.....
ओहदा

मुदद	रूपया	पे	मुदायलाह	सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन
स्टाम्प अर्चीदोस स्टाम्प वेकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	मीजान
	मीजान			

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्लिदयत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	भूराराम पुत्र ईशराराम कौम जाट, सा.देह	श्रीरामवाला	145	14.10	बा.सो.	0.87	लाल
		योग	1	14.10	बा.सो.	0.87	लाल
2	राजूराम पुत्र हेमाराम कौम जाट, सा.देह	श्रीरामवाला	145	14.10	बा.सो.	0.87	हरा
		योग	1	14.10	बा.सो.	0.87	हरा
3.	रूखमोंदेवी पत्नि पीराराम, गोगी, पनी पुत्रिया पीराराम, जाति जाट, सा.देह.	श्रीरामवाला	144 145	00.05 14.05	गै.मु. बा.सो.	— 0.85	पीला
		योग	2	14.10	—	0.85	पीला
4.	मेघाराम पुत्र पुराराम, बन्नूदेवी पत्नि पुराराम, जाति जाट, सा.देह	श्रीरामवाला	144 145 145 239	00.05 09.00 04.19 00.06	गै.मु. बा.सो. बा.सो. बा.सो.	— 0.53 0.30 0.02	बैंगनी
		योग	4	14.10	—	0.85	बैंगनी
5.	भूराराम पुत्र ईशराराम, राजूराम पुत्र हेमाराम, रूखमोंदेवी पत्नि पीराराम, गोगी, पनी पुत्रिया पीराराम, मेघाराम पुत्र पुराराम, बन्नूदेवी पत्नि पुराराम, जाति जाट, सा.देह	श्रीरामवाला	239 145	00.02 01.02	बा.सो. बा.सो.	— 0.07	पहाड़ी (मार्ग हेतु)
		योग	2	01.04	—	0.07	पहाड़ी

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।



(भागीरथ राम II)
सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक), चौहटन
सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 48/2021

पीठासीन अधिकारी - श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस

अनवान

वादी - 1.भूराराम पुत्र ईशराराम, जाति जाट
निवासी श्रीरामवाला, तहसील धनाऊ

बनाम

प्रतिवादीगण - 1.राजूराम पुत्र हेमाराम 2.रुखमोंदेवी पत्नि पीराराम 3.गोगी 4.पनी पि.
पीराराम 5.मेघाराम पुत्र पूराराम, 6.बन्नूदेवी पत्नि पूराराम, जातियान जाट
निवासी श्रीरामवाला, तहसील धनाऊ
7.शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा धनाऊ
8.तहसीलदार धनाऊ

अधिवक्तागण -

वादी वकील -

श्री हासम खान

प्रतिवादीगण वकील -

श्री जगदीश पोटलिया

निर्णय

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act.

दिनांक :- 02.09.2022



न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौहटन से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित हुए। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौजा श्रीरामवाला, पटवार क्षेत्र धनाऊ में खसरा सं. 144 रकबा 00.10 बीघा, खसरा सं. 145 रकबा 58.00 बीघा एवं खसरा सं. 239 रकबा 00.08 बीघा, कुल रकबा 59.04 बीघा के आये हुए है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं।

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्लिदयत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	भूराराम पुत्र ईशराराम कौम जाट, सा.देह	श्रीरामवाला	145	14.10	बा.सो.	0.87	लाल
		योग	1	14.10	बा.सो.	0.87	लाल
2	राजूराम पुत्र हेमाराम कौम जाट, सा.देह	श्रीरामवाला	145	14.10	बा.सो.	0.87	हरा
		योग	1	14.10	बा.सो.	0.87	हरा
3.	रूखमोंदेवी पत्नि पीराराम, गोगी, पनी पुत्रिया पीराराम, जाति जाट, सा.देह.	श्रीरामवाला	144	00.05	गै.मु.	—	पीला
			145	14.05	बा.सो.	0.85	
		योग	2	14.10	—	0.85	पीला
4.	मेघाराम पुत्र पुराराम, बन्नूदेवी पत्नि पुराराम, जाति जाट, सा.देह	श्रीरामवाला	144	00.05	गै.मु.	—	बैंगनी
			145	09.00	बा.सो.	0.53	
			145	04.19	बा.सो.	0.30	
			239	00.06	बा.सो.	0.02	
		योग	4	14.10	—	0.85	बैंगनी
5.	भूराराम पुत्र ईशराराम, राजूराम पुत्र हेमाराम, रूखमोंदेवी पत्नि पीराराम, गोगी, पनी पुत्रिया पीराराम, मेघाराम पुत्र पुराराम, बन्नूदेवी पत्नि पुराराम, जाति जाट, सा.देह	श्रीरामवाला	239	00.02	बा.सो.	—	पहाड़ी
			145	01.02	बा.सो.	0.07	(मार्ग हेतु)
		योग	2	01.04	—	0.07	पहाड़ी

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावे। मौका रिपोर्ट व नक्शा निर्णय का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(भागीरथ राम II)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट-ट्रेक), चौहटन
सहायक कलेक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन